दधीचि जयंती पर देहदानियों के परिजन, देहदान का संकल्प लेने वाले सम्मानित

बीकानेर, (कासं)। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन महर्षि दधीचि जयंती के अवसर पर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज एवं महर्षि दधीचि फाउण्डेशन के संयुक्त तत्वावधान में कॉलेज सभागार में देहदानियों के परिजनों, देहदान का संकल्प लेने वाले तथा प्रेरणा देने वाले गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान दिल्ली से स्वामी महेन्द्रानन्द गिरी महाराज मुख्य अतिथि रहे।

महर्षि दधीचि फाउण्डेशन के अध्यक्ष योगेन्द्र दाधीच ने प्राचार्य डॉ. सोनी एवं महाराज श्री की उपस्थिति में महर्षि दधीचि की तस्वीर पर दीप प्रज्जवलित कर तथा पुष्प अर्पित कर सम्मान समारोह की शुरूआत की। योगेन्द्र दाधीच ने महर्षि दधीच के बारे में बताते हुए कहा कि इन्होंने देवलोक पर संकट आने पर उस समय अपनी अस्थियों का दान किया, जब उनकी पत्नी गर्भवती थी। महर्षि दधीचि की अस्थियों से जिस वज्र का निर्माण हुए उसी के उपयोग से भगवान इंद्र ने वृत्रासुर नामक असुर का वध करा देवलोक को बचाया।

इस अवसर पर एस.पी. मेडिकल कॉलेज प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉ. गुंजन सोनी ने कहा कि कॉलेज प्रशासन द्वारा विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर सर्वसमाज में देहदान के प्रति जागरूकता के अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। जिसका समय समय पर सफल परिणाम सामने आ रहे है। डॉ. सोनी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में स्वैच्छिक देहदान सर्वप्रथम 14 अक्टूबर 2001 को प्राप्त हुआ। तब से लेकर आज तक आम जन मानस में देहदान को लेकर काफी जागरूकता उत्पन्न हुई है। देहदान संबंधित जानकारी देते हुए प्राचार्य डॉ. सोनी ने कहा कि आज दिनांक तक कुल 68 देहदान स्वरूप मेडिकल कॉलेज को प्राप्त हुई है जिसमें 46 पुरूष व 22 महिलाओं की देह सम्मिलित है।

वर्ष 2022 और 2023 में कुल 12 देहदान स्वरूप प्राप्त हुई। चालू वर्ष में अभी तक 1 देहदान स्वरूप प्राप्त हुई है। आमजन में देहदान को लेकर बढ़ती जागरूकता से समाज को कुशल चिकित्सक प्राप्त होंगे।

सम्मान समारोह के दौरान देहदान करने वाले व्यक्तियों के परिजनों, देहदान के लिए प्रेरणा देने वाले समाजिक कार्यकर्ताओं तथा देहदान का संकल्प पत्र भरने वाले महान व्यक्तियों के साथ साथ मेडिकल कॉलेज के एनॉटोमी विभाग में कार्यरत डॉक्टर्स का सम्मान किया गया। इस दौरान सभी को प्रतीक चिन्ह व महर्षि दधीचि की सवा लाख मंत्रों से अभिमंत्रित तस्वीरें भेंट की गई।

महर्षि दधीचि फाउण्डेशन ने करीब 2000 तस्वीरें मेडिकल स्टूडेंट्स व विभाग के कार्मिकों के लिए कॉलेज प्रशासन को भेंट स्वरूप प्रदान की।

इस दौरान महर्षि दधीचि फाउंडेशन से शिवजी राम आचार्य, लीलाधर आसोपा, ममता शर्मा तथा सनातन दर्पण पत्रिका की प्रधान संपदाक सम्पत दाधिच उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन साहित्यका जुगल किशोर पुरोहित ने किया। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य कक्ष तथा पीबीएम अधीक्षक कार्यालय के लिए महर्षि दधीचि की दो बडी अभिमंत्रित तस्वीरें महर्षि दधीचि फाउंडेशन द्वारा भेंट की गई।

देहदान करने वाले व्यक्तियों के परिजनों में दीपक अग्रवाल, महेन्द्र मिन्नी, शैलेष भादाणी व मोहन व्यास तथा प्रेरणा देने वालों में डॉ. राकेश रावत, मदन गोपाल मेघवाल, राजकुमार ढ़ल्ला, बाबूलाल जैन, अशोक कोचर, अरिहंत डागा, नरेन्द्र नाथ पारीक, प्रवीण कुमार चावला, कैलाश कपूर व हीरालाल मूंधड़ा और देहदान का हाल ही में संकल्प लेने वाले सुधीर कुमार, रविन्द्र सिद्धार्थ व रूकमा देवी सिद्धार्थ एवं एनॉटोमी विभाग से डॉ. मोहन सिंह, डॉ. राकेश मणि, डॉ. कविता, डॉ. गरिमा, डॉ. निर्मला तथा डॉ. कालूराम मीणा को सम्मानित किया गया।

महर्षि दधीचि जयंती पर मेडिकल कॉलेज सभागार में देहदानियों के परिजनों को प्राचार्य डॉ गुंजन सोनी व स्वामी महेन्द्रानन्द गिरी महाराज ने सम्मानित किया।

- **68 देहदान स्वरूप मेडिकल कॉलेज को प्राप्त हुई है जिसमें 46 पुरूष व 22 महिलाओं की देह सम्मिलित है**
- **आमजन में देहदान को लेकर बढ़ती जागरूकता से समाज को कुशल चिकित्सक प्राप्त होंगे**

ज्वैलर्स की दुकान से चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार

हनुमानगढ़, (कासं)। जिले की भादरा थाना पुलिस ने ज्वैलर्स की दुकान में चोरी करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

भादरा पुलिस थाना के कार्यवाहक प्रभारी एसआई वीरचन्द ने बताया कि 7 सितम्बर को ताराचंद (42) पुत्र महेन्द्रपाल सोनी निवासी वार्ड 19, भादरा ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि 7 सितम्बर को सुबह करीब साढ़े 9 बजे मैसर्स रवि ज्वैलर्स में दो अज्ञात व्यक्ति सामान लेने के बहाने आए। जो 350 ग्राम चांदी की चैन और करीब डेढ़ तोला सोने की 7 अंगूठी उठाकर भाग गए। रिपोर्ट पर बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच एएसआई महावीर सिंह को सौंपी गई।

वारदात को ट्रेस आउट करने के लिए थाना स्तर पर अलग-अलग टीमों का गठन किया गया। टीमों ने सूचना संकलन, तकनीकी विश्लेषण और सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग की सहायता से प्रदीप उर्फ सोनू पुत्र हनुमानचंद कुम्हार निवासी दुढियावाली पीएस रानिया जिला सिरसा हाल भोजासर और भलेराम उर्फ भलिया उर्फ प्रकाश पुत्र मुंशीराम भोपा निवासी भोजासर को बापर्दा गिरफ्तार कर लिया। एसआई वीरचन्द ने बताया कि दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भादरा के उप कारागृह भिजवा दिया है। जेल में दोनों आरोपियों की शिनाख्त परेड करवाई जायेगी। इसके बाद दोनों आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर हासिल कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया।

सार-समाचार

'हिन्दी सरल और संस्कारी भाषा'

पुस्तकालय सभागार में हिन्दी दिवस कार्यक्रम को वरिष्ठ साहित्यकार डॉ मदन केवलिया ने संबोधित किया।

बीकानेर, (कासं)। वरिष्ठ साहित्यकार-शिक्षाविद् डॉ. मदन केवलिया ने कहा कि हिन्दी पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है। देवनागरी लिपि को सर्वश्रेष्ठ लिपि माना गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शुद्ध भाषा लिखनी आवश्यक है। डॉ. केवलिया बुधवार को राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय सभागार में हिन्दी दिवस के तहत आयोजित 'प्रतियोगी परीक्षाएं और सामान्य हिन्दी' विषयक संगोष्ठी को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिन्दी सरल, सहज और संस्कारी भाषा है। हिन्दी माध्यम से पढ़े विद्यार्थी देश की प्रमुख परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर रहे हैं। हिन्दी भाषा का शुद्ध उच्चारण भी जरूरी है। हिन्दी आज पूरे देश की सम्पर्क भाषा बन गई है। हिन्दी राष्ट्रभाषा बने, इसके लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य हिन्दी प्रश्न पत्र में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए व इस दिशा में पुस्तकालय का काफी महत्व है। कथाकार शरद केवलिया ने कहा कि किसी भी देश की एकता, अखंडता व सांस्कृतिक अस्तित्व की रक्षा में उस देश की भाषा का विशेष योगदान रहता है व यह कार्य हिन्दी के माध्यम से हो रहा है। पुस्तकालयाध्यक्ष विमल शर्मा ने कार्यक्रम की महत्ता बताई और डॉ. केवलिया का परिचय दिया। कवि अब्दुल शकूर सिसोदिया ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान रश्मि लाटा, रामस्वरूप विश्नोई, इंद्र ओझा, सत्यनारायण सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी, आमजन उपस्थित थे।

15 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त

बीकानेर में रसद विभाग की टीम ने पवनपुरी क्षेत्र में 15 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए।

बीकानेर, (कासं)। रसद विभाग द्वारा बुधवार को पवनपुरी क्षेत्र में अवैध सिलेंडर रखने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की गई। जिला रसद कार्यालय के प्रवर्तन अधिकारी पवन सुथार एवं प्रवर्तन निरीक्षक प्रखर भार्गव ने पवनपुरी में शनि मंदिर के पास इकबाल अली पुत्र अनवर अली द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग करने पर कार्रवाई की। कार्रवाई में 15 घरेलू गैस सिलेंडर, एक इलेक्ट्रोनिक तराजू और एक रिफिलिंग मशीन जब्त की गई। इसके अतिरिक्त घरेलू गैस सिलेंडरों से वाहनों में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस अवैध रूप से भरी जा रही थी। इस पर संबंधित के विरूद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (वितरण व आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2000 का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान जब्त की गई सामग्री को पटेल नगर स्थित मां दुर्गा इंडेन गैस में सुरक्षित भंडारण करवाया गया है।

कन्हैयालाल सेठिया की जयंती मनाई

बीकानेर, (कासं)। साहित्य मनीषी कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी मान्यता आंदोलन के आगीवाण एवं समर्पित पुरोधा थे। पद्मश्री कन्हैयालाल सेठिया मानवीय चेतना और सामाजिक सरोकारों के सच्चे पैरोकार थे। साथ ही समय के सच को उद्घाटित करना उनके रचनाकर्म का समर्पित भाव था। यह उद्बोधन राजस्थानी के वरिष्ठ साहित्यकार एवं राजस्थानी मान्यता आंदोलन के प्रवर्तक कमल रंगा ने आज प्रातः नत्थूसर गेट बाहर स्थित लक्ष्मीनारायण रंगा सृजन सदन में प्रज्ञालय संस्थान एवं राजस्थानी युवा लेखक संघ द्वारा राजस्थानी के महान विद्वान कन्हैयालाल सेठिया की 105 वीं जयंती समारोह के अवसर पर व्यक्त किए। रंगा ने उन्हें नमन-स्मरण करते हुए इस अवसर पर विशेष रूप से उनकी चर्चित राजस्थानी काव्य कृतियां रमणियां रा सोरठा, गलगचिया, मींझर, कूंकंऊ, लीलटांस, धर कूंचा धर मंजलां, मायड़ रो हेलो, सबद, सतवाणी, लीकल कोलिया एवं हेमाणी पर अपनी बात रखते हुए उन्हें राजस्थानी साहित्य की काव्य विधा को समृद्ध करने वाली बताई। समारोह में बतौर अतिथि वरिष्ठ शायर जाकिर अदीब ने कहा कि स्व. सेठिया का साहित्य हमेशा मानवीय पीड़ा का पैरोकार रहा एवं शोषित वर्ग के पक्ष में उनकी कलम हमेशा चली। उनकी कविता 'कुण जमीन रौ धणी...' के माध्यम से जाकिर अदीब ने अपनी बात को विस्तार दिया।

सफाई कर्मी छुट्टी पर, सड़ रहा शहर, टिपर और ट्रैक्टर गायब

बीकानेर, (कासं)। पूरे शहर के ऐसे हालात हैं कि जगह-जगह कचरा पड़ा है। सफाई तो दूर कचरा उठने का नाम नहीं ले रहा। ज्यादातर सफाई कर्मचारी छुट्टी पर हैं। हैरानी की बात ये है कि छुट्टी किससे ली ये किसी को नहीं पता। पूर्व आयुक्त कह रहे एचओ से ली होगी और एचओ ने कहा कि मुझसे नहीं आयुक्त से ली।

1600 में से करीब 700 सफाई कर्मचारी एक सप्ताह से छुट्टी पर हैं। हर साल होने वाले इस हालात की खबर होने के बाद भी निगम प्रशासन कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करता। पार्षद कहते-कहते थक जाते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। अब आम लोगों ने भी ये मान लिया है कि मेलों के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था लचर ही रहेगी।

पिछले सप्ताह शहर में 42 एमएम बारिश हुई थी। दो दिन तक शहर में अलग-अलग जगह पानी भरा रहा। उसी के ठीक बाद सफाई कर्मचारी छुट्टियों पर जाने शुरू हो गए। एक साथ छुट्टी पर जाने से बारिश के बाद सड़कों पर पॉलिथीन, कचरा, मलबा पसरा था। वो सूख गया। सड़कों पर कचरा फैला हुआ है। सात दिन बाद तो नगर निगम के सामने पहली बार झाडू लगी। ये हालात वहां हैं जहां निगम आयुक्त समेत तमाम अधिकारी बैठते हैं। पिछले महीने भी लम्बे समय तक हड़ताल रही। टिपर से लेकर ट्रैक्टर तक हड़ताल पर चले गए और अब फिर आठ दिन से शहर कचरे का ढेर बन गया।

वार्ड 52 ये वही वार्ड है जिसके अंतर्गत नगर निगम कार्यालय भी आता है। 15 कर्मचारी हैं, जिसमें 13 सफाई कर्मचारी हैं। 6 दिन से एक भी कर्मचारी नहीं है। सोमवार को सुबह एक कर्मचारी आया। शाम को भी एक आया। मंगलवार को चार आए।

वार्ड 51 यहां 13 सफाई कर्मचारी हैं। 4 चार दिन तक वार्ड में सिर्फ 4 ही कर्मचारी आए हैं। 9 कर्मचारी छुट्टी पर गए थे। हालांकि अब मंगलवार को ज्यादातर कर्मचारी लौट आए। पर वार्ड में टिपर कई दिनों तक गायब रहे। मंगलवार को भी इन दोनों वार्ड के टिपर गायब रहे। ट्रैक्टर तो कई दिनों से गायब हैं।

नगर निगम में अर्से बाद आईएएस अधिकारी को आयुक्त लगाया गया। सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने यही है कि निगम का जो ढर्रा पटरी से उतरा है उसे सुधारा जाए। कर्मचारी सीट पर नहीं मिलते। निर्माण शाखा में बाबू तक टाइम पर नहीं आते। सीवरेज की समस्या सबसे बड़ी है। निगम से रोज सीवरेज के लिए गाड़ियां निकलती हैं। हजारों रुपए रोज खर्च होता है पर जहां आज सीवरेज जाम है।

- **करीब 700 सफाई कर्मचारी एक सप्ताह से छुट्टी पर है**

शतरंज में हर्षवर्धन व उदय जैन प्रथम

बीकानेर, (कासं)। जिला स्तरीय विद्यालयी शतरंज प्रतियोगिता में 14 वर्ष बालक में हर्षवर्धन परिहार व 17 वर्ष बालक में उदय सेठी जैन ने पहला स्थान हासिल किया।

68 वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन एन.डी. मॉर्डन सीनियर सैकण्डरी स्कूल के तत्वावधान में गवरा देवी गेस्ट हाउस में हुआ। प्रतियोगिता समिति के सदस्य मोहर सिंह सलावद ने बताया कि बुधवार को हुए मुकाबलों में 14 वर्ष बालक वर्ग में स्वामी रामनारायण ग्लोबल सीनियर सैकण्डरी स्कूल के हर्ष वर्धन सिंह परिहार ने 8 राउण्ड में 7.5 अंक बनाकर पहला स्थान, दयानन्द पब्लिक स्कूल के दक्ष ने 7 अंक दूसरा, दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल के विभोर चौपड़ा ने 7 अंक बनाकर तीसरा, राजस्थान बाल मंदिर पब्लिक स्कूल के आयुष्मान ओझा ने 7 अंक बनाकर चौथा और बाल गोविन्दम स्कूल के इकलव्य गोस्वामी ने 6.5 अंक बनाकर पांचवा स्थान प्राप्त किया।

गोपालजी मंदिर का छज्जा गिरा, स्कूटी चकनाचूर

बीकानेर, (कासं)। यहां के दम्माणी चौक में देर रात बड़ा हादसा टल गया। रात करीब नौ बजे बड़ा गोपालजी मंदिर के ऊपर लगे पत्थर छज्जे एक साथ नीचे गिर गए। गनीमत रही कि पत्थर गिरने के दौरान मौके पर कोई नहीं था। एक स्कूटी चकनाचूर हो गई। पिछले दिनों बारिश के कारण पत्थरों ने दीवार के साथ अपनी जगह छोड़ दी थी लेकिन किसी को पता नहीं चला।

मंदिर से जुड़े गोपाल व्यास (काला महाराज) ने बताया कि करीब आठ साल पहले जैसलमेर से पत्थर लाकर यहां लगाये गए थे। जितना पत्थर लगा था, वो अचानक एक साथ नीचे गिर गया। व्यास का कहना है कि ये गोपालजी की कृपा है कि घटना के समय मौके पर कोई नहीं था। दम्माणी चौक में स्थित बड़ा गोपालजी मंदिर में हर दिन सैकड़ों की संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं। खासकर बुजुर्ग महिलाएं यहां सुबह-शाम आती है। मंगलवार को भक्त दर्शन करके लौट चुके थे। यहां एक दूध की कड़ाई भी लगती है, जिस पर भीड़ रहती है। पूनरासर मेले के कारण कड़ाई नहीं लगी थी।

रात नौ बजे अचानक करीब 20 फीट लम्बी दीवार पर लगे छज्जे नीचे गिर गए। पत्थर गिरने से एक स्कूटी चकनाचूर हो गई। इसके अलावा किसी को चोट नहीं लगी। बड़ा गोपाल मंदिर की दीवार को नुकसान नहीं हुआ। इस पर चिपकाए गए पत्थर नीचे गिर गए हैं। घटना के बाद मंदिर ट्रस्ट से जुड़े नारायण दास व्यास मौके पर पहुंचे। गनीमत रही कि किसी को किसी तरह की चोट नहीं आई। कुछ साल पहले ही ये पत्थर मंदिर पर लगाए गए थे।

- **बारिश के कारण पत्थरों ने दीवार के साथ अपनी जगह छोड़ दी थी लेकिन किसी को पता नहीं चला**

गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत

बीकानेर,(कासं)। गर्भवती महिला ने बिना डॉक्टर की सलाह के अबोर्शन की दवाई खा ली। तबीयत बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई। मामला बीकानेर का है, जिसकी जांच अतिरिक्त जिला कलेक्टर करेंगे।

रामपुरा बस्ती में रहने वाले योगेश थापा ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि उनकी पत्नी राधिका थापा गर्भवती थी। वो बच्चा नहीं चाहती थी। इसलिए 8 सितम्बर को सुबह गर्भपात की दवा ले ली। 9 सितम्बर को उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी। रात नौ बजे अचेत अवस्था में उसे पीबीएम हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गर्भवती ने बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ली थी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। महिला का पोस्टमार्टम करवाया गया है। मामले की जांच अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी। मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मर्ग दर्ज की है।

- **अबोर्शन की दवाई खाने से बिगड़ी तबियत**
- **गर्भवती ने बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ली थी**

राधा अष्टमी पर गायों की सेवा

अनूपगढ़, (कासं)। राधा अष्टमी के अवसर पर आज अनुप्रयोग लायंस क्लब द्वारा गौशालाओं में गौ सेवा की गई है।

लायंस क्लब के अध्यक्ष मनोज बागला ने बताया कि राधा अष्टमी के अवसर पर अनूपगढ़ की श्री गौशाला कल्याण भूमि में लायंस क्लब के द्वारा श्रमदान किया गया और गौशाला में दलिए की सवामणी भी की गई है। उन्होंने बताया कि गौशाला में लायंस क्लब के सदस्यों के द्वारा सफाई अभियान चलाकर गौ वंशों की सेवा की गई है। लायंस क्लब के सदस्यों ने बताया कि गौशाला में गौ सेवा के बाद लायंस क्लब के सदस्यों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर बेसहारा गौ वंशों के लिए हरा चारा भी डाला गया है। इस अवसर पर लायंस क्लब जोन चेयरमैन राजाराम सोनी, अध्यक्ष मनोज बागला मौजूद थे।

बी.एल.ओ. का कार्यग्रहण नहीं करने पर कार्रवाई

बीकानेर, (कासं)। उपखंड अधिकारी कविता गोदारा ने प्रारंभिक शिक्षा में पदस्थापित सहायक प्रशासनिक अधिकारी हंसराज ओझा को चुनाव संबंधी कार्य में लापरवाही बरतने पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के नियम 17 के तहत कार्रवाई करते हुए एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव की लघुशास्ति अधिरोपण के दंड से दंडित किया है।

बीकानेर उपखंड अधिकारी कविता गोदारा ने बताया कि प्रकरण में कार्मिक को व्यक्तिगत रूप से सुना गया एवं कार्मिक द्वारा प्रस्तुत जवाब, पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन के बाद पाया गया कि संबंधित कार्मिक ने आदेश प्राप्त होने के बाद भी बूथ लेवल अधिकारी का कार्य ग्रहण नहीं किया एवं अपने प्रत्युत्तर में कार्य ग्रहण नहीं करने के आरोप को भी स्वीकार किया है।

आदेश प्राप्ति के बावजूद कार्यग्रहण नहीं करने से भाग सं. 190 में चुनाव संबंधित कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। जिससे न केवल पूरे विधानसभा क्षेत्र की प्रगति प्रभावित हो रही है बल्कि बीकानेर जिले की प्रगति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

इस लापरवाही, अकर्मण्यता और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना से निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न हुई मतदाताओं को भी परेशानी हुई। इस आधार पर यह कार्यवाही की गई है।

कार्मिक की सेवा पुस्तिका में लघुशास्ति अधिरोपण के इस आदेश की प्रविष्टि लाल स्याही से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

- **नियम 17 के तहत कार्रवाई करते हुए एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव की लघुशास्ति अधिरोपण के दंड से दंडित किया**

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

क्रमांक :- LU2012/SGN/2024-25/101130 **लोक सूचना** दिनांक : 06.09.2024

MYNAHSGGR ESTATES LLP जरिये डायरेक्टर श्री योगेश गोयल पुत्र श्री पुरूषोतम गोयल निवासी 1-डी-10, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 4 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर	MYNAHSGGR ESTATES LLP जरिये डायरेक्टर श्री योगेश गोयल पुत्र श्री पुरूषोतम गोयल	चक 4 एमएल मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 16/2 में 0.1390 है. किला नं. 17,18, 19 व 20 प्रत्येक में 0.253 है. यथाकुल 1.151 हैक्टेयर	कुल 1.151 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 6.9.2024 को जारी की गयी।

- प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

बीकानेर में मंगल गीतों के साथ हुई भगवान आदिनाथ की स्नात्र पूजा

बीकानेर, (कासं)। रांगड़ी चौक स्थित पौषधशाला में चल रहे चातुर्मास में श्रावक श्राविकाओं द्वारा जैनाचार्य गच्छाधिपति नित्यानंद सूरिश्वरजी म.सा. के शिष्यरतन जैन मुनि पुष्पेन्द्र म. सा. व प्रखर प्रवचन कार जैन मुनि श्रृतानंद के सानिध्य में प्रभु परमेश्वर की स्नात्र पूजा व आराधना की गई।

आत्मानन्द जैन सभा चातुर्मास समिति के सुरेन्द्र बद्धानी के अनुसार इसमें बड़ी संख्या में श्रावक-श्राविकाओं ने भाग लिया एवं श्रद्धालुओं ने स्नात्र पूजा का महत्व जाना व अष्ट प्रकारी पूजा अर्चना की। मुनि श्रुतानंद के सानिध्य में पुष्प पूजा, फल पूजा, केसर पूजा, धूप पूजा, दीप पूजा सहित विभिन्न पूजा की गई। इस तीर्थ की महिमा अपरंपार है, जहां आदिनाथ भगवान विराजमान है . . ., दर्शन ने आ सारी नगरी उमड़ी जावे, माता त्रिशला ने बधाई है। मेरू शिखर पर इंद्र इंद्राणी आवे है, 30 वर्ष की आयु में दुनिया को ज्ञान सिखावन ने राज सिंहासन छोड़ दियो . . ., ओ जिन जी तु मेरे दिल में, तु मेरे मन मे . . . जैसे अनेकों मंगल गीत पूजा के दौरान श्राविकाओं द्वारा बड़े उत्साह से गाये जा रहे थे। जिससे पौषधशाला में जिन शासन की भक्ति का ज्वार उफन रहा था। उपस्थित श्रद्धालुओं को स्नात्र पूजा का महत्व बताते हुए मुनि श्रुतानंद ने कहा कि यह परमात्मा का अभिषेक होता है। इससे विभिन्न प्रकार के लाभ मिलते हैं। विद्या एवं धन की प्राप्ति होती है एवं परमात्मा से आत्मीय जुड़ाव होता है। जैन धर्म की सभी पूजाओं में इसका अत्यंत विशिष्ट स्थान है एवं सभी पूजाओं से पहले इसे आवश्यक रूप से पढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि जब तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है तब इन्द्रादिक देव मिलकर उन्हें मेरू पर्वत पर ले जाकर अभिषेक करते हैं। इसी क्रिया का पुनरावर्तन ही स्नात्र पूजा है। यह पूजा जिनेश्वर भगवान के प्रति हमारे सम्मान और भक्ति को व्यक्त करती है।

बीकानेर के रांगड़ी चौक स्थित पौषधशाला में मंगल गीतों के साथ भगवान आदिनाथ की स्नात्र पूजा करते श्रद्धालु।

- **जैन धर्म की सभी पूजाओं में स्नात्र पूजा का अत्यंत विशिष्ट स्थान है**

युवक की मौत के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

श्रीगंगानगर, (कासं)। पदमपुर रोड पर ए माइनर के किनारे युवक के संदिग्ध अवस्था में मिले शव के मामले में पुरानी आबादी पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया।

आरोपियों से मामले को लेकर पूछताछ जारी है। इससे पहले परिजनों की ओर से सहमति मिलने पर दोपहर मृतक युवक बलजीतसिंह के शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। शाम को युवक का गांव धालेवाला में अंतिम संस्कार कर दिया गया। आरोपी 27 वर्षीय हैपी सोनी पुत्र कुलदीप सोनी, निवासी वार्ड 11 हाऊसिंग बोर्ड, 24 वर्षीय जगजीत सिंह उर्फ अनमोल पुत्र परमजीतसिंह, निवासी मकान नंबर 52 बी भरतनगर पुरानी आबादी व 21 वर्षीय रोहित नायक पुत्र सुल्तानराम, निवासी चक 11 जैड को गिरफ्तार किया गया है। मामले में मृतक के चचेरे भाई बलविंद्र की ओर से हत्या का संदेह जताते हुए मुकदमा दर्ज करवाया गया था।

सार्वजनिक नोटिस

दिनांक :- 11.09.2024

यह बड़े पैमाने पर जनता को जानकारी देने के लिए है कि हमारे मुवक्किल और उसकी सहयोगी तथा नियंत्रित कम्पनी केला गांव एवं सरदारपुरा गांव (पटवार हल्का केला) तहसील छतरगढ़, जिला बीकानेर के निम्नलिखित आराजी/खसरा नंबरों में लगभग 143.67105 एकड़ के बराबर 58.1417 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर लेने का इरादा रखती है। यह जमीन राजस्थान में निम्नलिखित आराजी/खसरा नंबर में स्थित है :- केला/सरदारपुरा

क्र.सं.	वर्तमान मालिकान	आराजी संख्या	गांव	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	मोहनराम पुत्र तोलाराम	475/391	सरदारपुरा	6.3225
2.	अली शेर पुत्र सामूखान	700	केला	6.449
3.	अली शेर पुत्र सामूखान	831/1	केला	1.2645
4.	सिराजू खान पुत्र ममदू खां	1604/831	केला	1.9726
5.	अजीताराम पुत्र रूपाराम, भूरा पुत्र रूपाराम, मघाराम पुत्र रूपाराम और शेरा पुत्र रूपाराम	371	सरदारपुरा	22.154
6.	चंदा पत्नी बनाराम, दुलाराम पुत्र अखाराम, मघाराम पुत्र बनाराम, रामेश्वरलाल पुत्र घड़सीराम	360	सरदारपुरा	19.9791

उपरोक्त जमीन के वर्तमान मालिकान ने दर्शाया तथा घोषित किया है कि, उपरोक्त जमीन सभी तरह के भार, प्रभार, पट्टा आदि से मुक्त है। उपरोक्त जमीन के वर्तमान मालिकान ने यह भी घोषित किया है कि जमीन किसी भी तरह के कोई समझौता, पट्टा, समझौता ज्ञापन आदि का हिस्सा/विषय नहीं है और कोई कानूनी बाधाओं से प्रभावित नहीं है एवं उपरोक्त जमीन खरीदने के लिए कानूनी रूप से पाक साफ है। तात्पर्य यह है कि उक्त जमीन के सन्दर्भ में हमारे मुवक्किल इस आधार पर उपरोक्त जमीन के गुणों का ध्यान रखते हुए इसे खरीदने के लिए सहमति व्यक्ति किया है।

कोई भी व्यवहार, कंपनी, एजेंसी तथा संस्था का कोई अधिकार हक, दावा, वाह मांग उपरोक्त जमीन या उसके किसी हिस्से के विरुद्ध हो जो कि विरासत, बंधक, कब्जे के माध्यम से बिक्री, विनियम, लाइसेंस, उपहार, पट्टा, ग्रहणाधिकार, प्रभार, विश्वास, रखरखाव, वसीयत, सहजता, विकास के अधिकार, साझेदारी, संयुक्त उद्यम, हुकमनामा या किसी भी न्यायालय के आदेश, अधिग्रहण की सूचना या किसी अन्य समझौते/समझ अनुसरण, के तहत हो तो वह व्यक्ति, कंपनी, एजेंसी, तथा संस्था को इस सार्वजनिक सूचना के जारी करने के दस (10) दिनों के भीतर मूल रूप से दस्तावेजी साक्ष्य के साथ नीचे दिए गए पते पर, अधोहस्ताक्षरी को लिखित में रूप में, समान रूप से ज्ञात करने में विफल होते हैं तो वह दावा/आपत्ति आदि को माफ कर दिया गया/परित्यक्त, माना जाएगा।

श्री दीपक चौधरी, वकील, +91 9990083459/ +91 9490141393, 2 फ्लोर, ब्लॉक डी, थी मीरा मथुरा रोड, नई दिल्ली 110 065